(289) (289)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–पन्ना R-3114-III/14

रामसेवक चौबे पुत्र परसराम चौबे निवासी चौबेयाना मौहल्ला तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

रामकुमार पुत्र गोपाल यादव निवासी कगरें का बाडा अजयगढ तहसील अजयगढ जिला पन्ना (म.प्र.)

...... अनावेदक

न्यायालय/कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल अजयगढ़ तहसील अजयगढ़ जिला–पन्ना द्वारा प्रकरण क्रमांक 80/13–14 में पारित आदेश दिनांक 26.07.2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, अनावेदक द्वारा भूमि खसरा क्रमाक 598 रकवा 7.69 हैक्ट्यर भूमि के सीमांकन बावत् आवेदन पत्र कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल अजयगढ़ के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत किया गया था कि उपरोक्त भूमि का सीमांकन किया जायें। इस संबंध में सरहदी कृषकों को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश दिनांक 26.07.2014 को सीमांकन आदेश पारित कर आवेदक के विरूद्ध ओदश पारित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त आदेश प्रक्रिया का पालन किये बिना होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यहकि, राजस्व निरीक्षक द्वारा अनावेदक को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से आक्षेपित आदेश दिनांक 16.07.2014 से तथा कथित सीमांकन कार्यवाही सम्पादित की है जबकि मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार 15 जून से 15 अक्टूबर तक सीमांकन कार्यवाही पर रोक लगा दी जाती है क्योंकि उपरोक्त समय में कृषकों की फसले रहती है और यदि सीमांकन कार्यवाही की जाती है

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–3114–दो / 2014 जिला–पन्ना

रामसेवक चौबे विरूद्ध रामकुमार यादव

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल अजयगढ़, जिला–पन्ना के प्रकरण क्रमांक 80 / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 26–07–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी अजयगढ़, जिला–पन्ना को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 13–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर0के0 जैन) 18/03/19 सदस्य	